कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक–

18295
14.12.16
SS(MPM) 507

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, साहेबगंज
जिला– मुजफ्फरपुर

पत्र प्राप्ति तिथि 14 DEC 2016

महाशय,

नगर पंचायत, साहेबगंज के वर्ष 2013–14 से 2015–16 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 293/16–17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

पत्र पंजी 15 DEC 2016 13811

भवदीय,

–ह0–

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0/14618/321 दिनांक– 01.12.16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर

तनवीर हसन 01/12/16

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना

निरीक्षण प्रतिवेदन सं.– 293/16–17

भाग –I

प्रस्तावना

1	निरीक्षित इकाई का नाम	नगर पंचायत, साहेबगंज
2	परीक्षित लेखा की अवधि	2013–14 से 2015–16
3	लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	अंकेक्षण में जांच किये गये अभिलेखों एवं पंजीयों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट–I में दर्शायी गयी है। जिन अभिलेखों एवं पंजीयों को अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किया गया था, अधूरा संधारित था या संधारित नहीं था, को परिशिष्ट– II में दर्शाया गया ळें
4	लेखापरीक्षा की अवधि	11.05.2016 से 17.05.2016
5	**प्रशासन**	
	मुख्य पार्षद	कार्य अवधि
	1. श्रीमती किरण देवी	01.04.13 से 31.03.2016
	उप मुख्य पार्षद	कार्य अवधि
	1. श्री विजय कुमार	01.04.13 से 31.03.2016
	कार्यपालक पदाधिकारी	
	1. श्री नीरज कुमार दास	01.04.2014 से 11.08.2015
	2. श्री जफर आलम	13.08.2015 से 26.08.2015
	3. श्रीमति कुमारी हिमानी	27.08.2015 से अबतक
6	लेखापरीक्षा दल के सदस्य	श्री सालकीन अहमद, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री मनोज कुमार, पर्यवेक्षक श्री राम नाथ प्रसाद, पर्यवेक्षक
7	निरीक्षण अधिकारी का नाम	श्री शम्भु प्रसाद गुप्ता, वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी
8	पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	अनेक बार स्मारित करने के बावजूद लेखापरीक्षा के दौरान पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन अंकेक्षण में उपस्थापित नही किया गया, जिसके कारण लंबित कंडिकाओं के निस्तारण की अनुशंसा लेखापरीक्षा दल द्वारा नही की जा सकी। कार्यपालिका का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करते हुए सलाह दी जाती है कि पूर्ववर्ती अंकेक्षण की लंबित कंडिकाओं के अनुपालन हेतु शीघ्र प्रभावी कदम उठाया जाय।
9	अंकेक्षण टिप्पणी	जिन अंकेक्षण आपत्तियों का निस्तारण इकाई के अंकेक्षण के दौरान नहीं हो सका, उन्हें इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।
10	क्या कार्यपालक पदाधिकारी के साथ आपत्तियों पर चर्चा की गयी	हॉ, दिनांक 17.05.2016

11 लेखापरीक्षा परिणाम

1	लेखापरीक्षा के दौरान वसूली गयी राशि	0
2	वसूली हेतु सुझायी गयी राशि	261496
3	अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी गयी राशि	625824

(विवरण परिशिष्ट– III पर)

(10)

12 बजट प्राक्कलन का नहीं बनाया जाना

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 82 से 85 में नगरपालिका का बजट बनाने, उसकी मंजूरी तथा बजट अनुदान में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किये गये हैं। इसके अनुसार प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को अथवा तत्पश्चात यथा सम्भव शीघ्र बजट प्राक्कलन नगरपालिका के समक्ष पेश करना है। नगरपालिका बजट प्राक्कलन और इस पर सशक्त स्थायी समिति की अनुशंसा, यदि कोई हो पर विचार करेगी तथा प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक ऐसे परिवर्तनों के साथ आगामी वर्ष हेतु बजट प्राक्कलन अंगीकार करेगी जैसा वह आवश्यक समझे और इस प्रकार अंगीकृत बजट राज्य सरकार को भेजेगी। यथा स्थिति राज्य सरकार उपरोक्त उपधारा के अधीन प्राप्त बजट प्राक्कलन राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता से सम्बंधित उपबंधों में परिवर्तन के साथ अथवा बिना परिवर्तन के उस वर्ष के मार्च की 31 तारीख के पूर्व नगरपालिका को लौटा देगी। परन्तु नगर पंचायत की बजट संचिका एवं बजट की प्रति दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई। जिस के अभाव में यह कहना मुश्किल है कि बजट बनाया गया अथवा नहीं। कार्यालय द्वारा इस संबध में कोई जवाब नहीं दिया गया।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि उपरोक्त नियमानुसार बजट बनाया जाय एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को सुचित किया जाय।

13. नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी गयी विवरणी के अनुसार वर्ष 2013–14 से 2015–16 की आय– व्यय विवरणी निम्न प्रकार थी :–

		2013–14	2014–15	2015–16
1	प्रारम्भिक शेष	44668774	53248738	72782256
2	वर्ष के दौरान प्राप्ति			
क	अनुदान	14777184	10862072	8869240
ख	ब्याज	0	75015	147416
ग	अन्य	0	0	0
3	वर्ष के दौरान प्राप्ति	14777184	10937087	9016656
4	कुल प्राप्ति	59445958	72770223	81798912
5.	कुल व्यय	15422539	12921856	19096587
6	अंतशेष	44023419	59848367	62702325

(विवरण परिशिष्ट– IV पर)

नगर पंचायत, साहेबगंज द्वारा कोषागार रोकड़बही सहित 20 रोकड़बही का संधारण किया गया।

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार लेखा परीक्षा, बिहार, पटना लेखा परीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

भाग– II(क) –शून्य

भाग– II(ख)

कंडिका संख्याः-- 1 15 पीस सोलर लाइट खरीद में अनियमितता एवं अधिक भुगतान (राशि– 0.61 लाख)

नगर पंचायत के शहरी क्षेत्र में सोलर लाइट आपूर्ति करने के लिए दो (1. जें.एम. डी. सोलर लाइट, मुजफ्फरपुर 2. रवि इंटरप्राईजेज पूर्वी चम्पारण) आपूर्तिकर्त्ता ने निविदा डाली; दोनों निविदाओं में से रवि इंटरप्राईजेज के निविदा को सहायक अभियंता द्वारा अस्वीकृत किया गया। रवि इंटरप्राइजेज के निविदा को सहायक अभियंता द्वारा अस्वीकृत किया गया। दूसरे निविदादाता को चयनित करते हुए एकरारनामा किया गया एवं पत्रांक सं0 192 दिनांक 28.12.12 द्वारा कार्यादेश निगत किया गया। आपूर्तिकर्त्ता द्वारा 15 पीस सोलर लाइट की आपूर्ति की गयी एवं कार्यालय द्वारा राशि का भुगतान किया गया। विवरणी इस प्रकार है–

क्रम सं0	चेक सं0	तिथि	विपत्र की राशि	वैट की दर प्रतिशत में	वैट की राशि	राशि	अंतिम भुगतान	अभिश्रव सं0	लाईटों की सं0
1.	232440	26.04.13	405288/–	4	16212/–	421500/–	303480/–		15
2.	232442	30.04.13					118020/–		
						421500/–	421500/–		

अंकेक्षण आपत्तिः–

1. बिहार वैट अधिनियम की धारा 40(1) के अनुसार सामानों की राशि का अंतिम भुगतान करते समय वैट की राशि नियमानुसार कटौती करके ही अंतिम भुगतान करना चाहिए, सभी सामान जे.एम.डी. मुजफ्फरपुर, बिहार से ही खरीदा गया था, अतः वैट की राशि के रूप में 16212/– की कटौती की जानी चाहिए थी जो नहीं की गयी। अतः राशि 16212/– का अधिक भुगतान किया गया।
2. प्रथम कार्यालय आदेश 28.12.12 को आपूर्तिकर्त्ता को समर्पित किया गया। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड जो वित्त विभाग के संकल्प सं0 एम–4–35/2002/1293/वि0–2 दिनांक 23.2.2007 द्वारा राज्य क्रय संगठन नामित है अथार्त रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्त्ता है इस संस्था द्वारा उससे भी निविदा निकालने से पहले या बाद में संपर्क नहीं साधा गया। ब्रेडा या बेलटान द्वारा 05.09.12 से प्रति पीस सोलर लाइट का दाम 22355/– एवं 3 साल की वारंटी के लिए प्रति पीस 2762/– अर्थात 25117– प्रति पीस की दर सभी कर सहित निर्धारित की गयी थी। परन्तु प्रस्तुत संचिका के अवलोकन से पता चला कि नगर पंचायत साहेबगंज द्वारा प्रति पीस 28100/– की दर का भुगतान किया गया, अर्थात राशि 421500/–

(99

(28100×15) का भुगतान किया गया। इस प्रकार कुल 44745/– (28100×15- 25117×15) का अधिक भुगतान किया गया।

3. बिहार वित्त नियमावली की धारा 131 (0) एवं (P) के अनुसार किसी भी आपूर्ति पर Perfomance Security के रूप में गारंटी अवधि तक कुल मुल्य का 05–10 प्रतिशत की राशि Security deposit के रूप में कार्यालय द्वारा रखी जाती है, ताकि भविष्य में कुछ गड़बड़ी या असहमति होने पर राशि Forfeit की जा सके, संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि उपर्युक्त नियमानुसार इस मद में कोई राशि की कटौती नहीं की गयी थी। इस प्रकार आपूर्तिकर्त्ता से राशि 42150/– की कम कटौती की गयी। **फलस्वरूप राशि 42150/– का अधिक भुगतान हुआ** और कार्यालय द्वारा Performance Security के रूप में राशि की कटौती आपूर्तिकर्त्ता से नहीं करना कहीं न कहीं प्रशासनिक लापरवाही एवं आपूर्तिकर्त्ता को undue favour की ओर इशारा करती है।
4. बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 75 के अनुसार किसी नगर निकाय में सामानों की खरीदारी से पहले सामन्य बोर्ड या सशक्त स्थायी समिति में निर्णय लेना आवश्यक है, परन्तु संचिका के अवलोकन से पता चला कि सामानो की खरीदारी से पहले उपर्युक्त नियमानुसार सहमति प्राप्त नहीं की गयी थी। बिना सहमति से कार्यालय स्तर पर निर्णय लेकर सामानो की खरीदारी करना एवं सम्पूर्ण राशि का भुगतान करना पूरी प्रकिया एवं खरीदारी को संदिग्ध बनाता है।
5. निविदा का चयन किस स्तर के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किया गया यह संचिका से स्पष्ट नहीं है।
6. संचिका में कहीं भी सोलर लाइट का Specification से संबधित कागजात संलग्न नहीं पाया गया।

कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि अधिक भुगतान की गयी राशि संबधित व्यक्तियों से वसूली जायेगी।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि अधिक भुगतान की गयी राशि 60957/– (16212+ 44745) की वसूली की दिशा में सकारात्मक प्रयास किए जाए एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत करायी जाये।

कंडिका संख्याः– 2 बगैर सशक्त स्थायी समिति की स्वीकृति के एक कर्मी के वेतन का अग्रिम भुगतान किया जाना

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 36 में प्रावधान किया गया है कि धारा–41 के उपबंधों तथा नगरपालिका प्रशासन में अधिकतम संभावित मितव्ययिता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता के अधीन, नगरपालिका में पदाधिकारियों के निम्नलिखित पद होंगे–

(1) नगर परिषद अथवा नगर परिषद के मामले में :–

(i) नगर कार्यपालक पदाधिकारी,

(ii) नगर वित्त पदाधिकारी,

(iii) नगर अभियंता,

(iv) नगर स्वास्थ्य पदाधिकारी, ;अर्द्ध नगर सचिव, और

(v) ऐसे अन्य पदाधिकारी जैसा कि इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा नामोनिर्दिष्ट किया जाय; परन्तु यह कि राज्य सरकार पूर्वोक्त पदाधिकारियों के पदों की संख्या कम कर सकेगा; परन्तु यह और कि राज्य सरकार पदाधिकारियों के पूर्वोक्त किसी पद को पुनः नामोनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(2) उपधारा– (1) में उल्लिखित पदाधिकारियों की नियुक्ति या तो नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर ऐसी अवधि के लिए की जायेगी, जैसा कि सशक्त स्थायी समिति आवश्यक समझे।

(4) उपधारा– (2) के उपबंधों के अधीन विभिन्न पदों के लिए, उपधारा– (1) में निर्दिष्ट पदाधिकारियों की नियुक्ति, जैसा कि विनियम द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय– (क) अधिसूचना के माध्यम से सशक्त स्थायी समिति से परामर्श कर राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से की जायेगी, जो सरकार की सेवा में हो, या रहे हों, अथवा (ख) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से सशक्त स्थायी समिति द्वारा ऐसे पदाधिकारियों के बीच से की जायेगी, जो किसी नगरपालिका की नगरपालिका सेवा में हो या रहे हों, अथवा (ग) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और राज्य लोकसेवा आयोग के परामर्श से सशक्त स्थायी समिति द्वारा की जायेगी; परन्तु यह कि पूर्वोक्त पदों पर नियुक्ति ऐसी शर्त एवं बंधेज पर और प्रथमतः पाँच वर्षों से अनधिक अवधि के लिए की जायेगी, जैसा कि राज्य सरकार अवधारित करे; परन्तु यह और कि राज्य सरकार सशक्त स्थायी समिति के परामर्श से पूर्वोक्त पदों पर नियुक्ति की अवधि समय समय पर बढ़ा सकेगी।

इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के निम्न धाराओं में पदाधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतनं एवं भत्ते का निर्धारण किया गया है–

39. पदाधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते– (1) धारा– 36 में निर्दिष्ट पदाधिकारियों समेत नगरपालिका के सभी पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को नगरपालिका निधि से वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे।

(2) नगरपालिका अपने पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के लिए पेंशन, उपादान, भविष्य निधि, उत्प्रेरण, लाभांश, ईनाम या शास्ति अधिनियम में विनिर्दिष्ट यथाविहित नियमों, मानकों, पैमानों एवं शर्त्तों के अनुसार उपबंधित कर सकता है।

40. छुट्टी तथा अन्य सेवा शर्त्तें– नगरपालिका के सभी पदाधिकारी एवं अन्य कर्मचारी ऐसी छुट्टी तथा अन्य लाभ अथवा वाध्यता साहित जो इस अधिनियम में विशेष रूप से उपबंधित न हो, ऐसी सेवा शर्त्तों के अधीन होंगें, जैसा कि विहित की जाये।

41. नगरपालिकाओं के लिए राज्य सरकार के पदाधिकारियों की नियुक्ति– इस अधिनियम में अन्यत्र अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार ऐसी अर्हता वाले, जैसा कि इसके द्वारा अवधारित किया जाये, नगर निगम अथवा नगरपालिका वित्त पदाधिकारी, नगर अभियंता अथवा नगरपालिका स्वास्थ्य पदाधिकारी अथवा ऐसे पदनाम वाले पदाधिकारी जैसा कि राज्य सरकार आवश्यक समझे, किसी सरकारी सेवक की नियुक्ति ऐसी रीति से तथा सेवा की ऐसी शर्त्त एवं बधेज के आधार पर कर सकेगी, जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त अवधारित करे। ऐसे किसी पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ता मद में व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

अधिनियम में किये गये उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि बगैर सशक्त स्थायी समिति के सहमति के राज्य सरकार नगरपालिका निधि से व्यय किये जाने वाले पदाधिकारियों अथवा कर्मियों की नियुक्ति नहीं कर सकेगी तथा अगर

97

राज्य सरकार इस अधिनियम के धारा 41 के अंतर्गत राज्य सरकार के पदाधिकारियों की नियुक्ति करती है तो ऐसे किसी पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ता मद में व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

लेकिन नगर पंचायत साहेबगंज के अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 3343 दिनांक 05.11.2014 द्वारा नगर पंचायत को चार मैन पावर सप्लाई के विरूद्ध राशि की मॉग किया गया था। भुगतानों के जॉच में पाया गया कि निदेशक, बुडा के पक्ष में नगर पंचायत साहेबगंज कार्यालय में नियुक्त किये गए केवल एक कर्मी का 08 महीने का संभावित वेतन को नगरपालिका निधि अंतर्गत चतुर्थ राज्य वित्त की राशि से ड्राफ्ट सं0 092.42 दिनांक 20.11.2015 से रू0 194350.00 का पत्रांक सं0 137/26.11.15 को निर्गत किया गया। चार कर्मियों के विवरणी इस प्रकार है–

पदनाम	योगदान करने वाले कर्मी का नाम सर्वश्री	योगदान की तिथि
सिविल अभियंता	मो0 सरबर	पत्र सं0 05/22.01.2015 द्वारा सभी को वापस करते हुए सिर्फ कनीय अभियंता की मॉग की गयी।
लेखापाल	रजनीश कुमार	
लिपिक	मधु कुमारी	
लिपिक	अविनाश कुमार	

आगे यह पता चला कि पुनः वाणी सिस्टम प्रा0 लि0 द्वारा अपने पत्र सं0 945/10.03.2015 द्वारा नावेद अनवर का नाम नगर पंचायत साहेबगंज को भेजा गया। नावेद अनवर ने दिनांक 08.05.2015 को कार्यालय में अपना योगदान दिया एवं पत्र सं0 137/26.11.2015 द्वारा राशि 194350/– का चेक नगर विकास एवं आवास विभाग को प्रदान किया गया।

इन नियुक्तियों के संबंध में अंकेक्षण दल द्वारा निम्नलिखित आपत्तियॉ की गयी।

1. क्या सशक्त स्थायी समिति द्वारा अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत इन व्यक्ति की नियुक्ति की सहमति राज्य सरकार को पहले दी गयी थी?
2. अगर सशक्त स्थायी समिति द्वारा इसकी सहमति नहीं दी गयी थी तो रू0 194350.00 का चेक नगर पंचायत कार्यालय द्वारा क्यों निर्गत किया गया?
3. नगर पंचायत, साहेबगंज कार्यालय में उपरोक्त पद स्वीकृत है अथवा नहीं।
4. सशक्त स्थायी समिति द्वारा इस भुगतान के लिए स्वीकृति कब दी गयी थी?
5. क्या कर्मियों के योगदान करने के बाद सशक्त स्थायी समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी थी ?
6. पत्र सं0 945 दिनांक 10.03.15 से स्पष्ट है कि दिनांक 31.12.15 के बाद इनकी विभाग के साथ अनुबन्ध के साथ नवीनीकरण व सेवाएँ संतोषजनक होने पर सेवा विस्तार किया जाना था। अंकेक्षण दल को इस बात से न तो अवगत कराया गया कि निर्धारित तिथि के बाद नावेद अनवर का सेवा विस्तार की गयी और न ही उनके विरमित किए जाने संबधित कोई पत्र दल के समक्ष प्रस्तुत किया गया

आपत्तियों के जवाब में कार्यालय द्वारा यह बताया गया कि सरकार से पत्राचार कर महालेखाकार कार्यालय को सूचित किया जायगा।

कार्यालय द्वारा दिया गया जवाब मान्य नहीं है क्योंकि उपर्युक्त प्रावधानों का पालन नहीं किया गया, अतः वेतन के मद में भुगतान की गयी राशि 194350/– संबधित व्यक्तियों से वसूलनीय है।

कंडिका संख्याः– 3 मोबाईल टावर पंजीकरण/नवीकरण शुल्क की वसूली में उदासीनता के कारण राजस्व की हानि – रु. 7.28 लाख

बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 के नियम 6 के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र अन्तर्गत स्थापित मोबाईल टावरों से पंजीकरण शुल्क के रुप में रु. 30000 प्रतिटावर तथा वार्षिक नवीकरण

शुल्क रु. 8000 प्रविटावर प्रतिवर्ष देय है। इसके अलावा, एक ही टावर पर प्रत्येक अतिरिक्त एन्टिना के लिए 60 प्रतिश्शत पंजीकरण शुल्क एवं नवीकरण शुल्क वसूलनीय है। साथ ही, यह भी प्रावधान है कि वार्षिक नवीकरण शुल्क यदि देय माह (अप्रैल) में अग्रिम नहीं दिया जाता है तो प्रतिमाह डेढ़ (1.5) प्रतिशत की दर से ब्याज वसूलनीय होगा। बिना रजिस्ट्रेशन एवं नवीकरण शुल्क भुगतान किए तथा बिना नगर पंचायत के अनुमति के संचार टावर स्थापित किया जाना गैरकानूनी (अवैध) माना जायेगा तथा इस स्थिति में नगर पंचायत को मोबाइल कम्पनियों के टावर को सील करने का अधिकार प्रदत्त है ।

पुनः सरकार के पत्रांक 757 दिनांक 14.2.2014 के द्वारा सभी स्थानीय नगर निकायों को उक्त नियमावली के अनुरूप अप्रैल 2011 से मांग पत्र तैयार कर वसूली हेतु कारवाई करने का अनुरोध किया गया था। साहेबगंज नगर पंचायत में मोबाइल टावर की उपलब्ध संचिका एवं उपलब्ध कराए गए अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि नगर पंचायत क्षेत्रांतर्गत 5 कम्पनियों के कुल 8 मोबाइल टावर अवस्थित था जिनमें से एक भी टावर का रजिस्ट्रेशन एवं नवीकरण नहीं कराया गया। नगर पंचायत के अंतर्गत विभिन्न कम्पनियों के अवस्थित टावर पर अप्रैल 2016 तक ₹ 7.28 लाख बकाया था। विवरणी परिशिष्ट– V पर संलग्न

इसके अतिरिक्त इन पर डेढ़ प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज भी वसूलनीय है। परन्तु नगर पंचायत द्वारा किसी भी मोबाइल टावर कम्पनी को मॉग भेजते हुए ब्याज की गणना नहीं की गयी। लेखापरीक्षा द्वारा निम्न जॉनकारी मॉगी गई –

1. नगर पंचायत क्षेत्र में जंब 5 मोबाइल कम्पनियों पर निबंधन शुल्क एवं नवीनीकरण शुल्क का बकाया था तो मांग पत्र के साथ ब्याज की गणना कर कुल मांग क्यों नहीं प्रेषित किया गया।

2. मांग भेजने के बाद भी कम्पनियों द्वारा निबंधन नहीं कराये जाने पर उन कम्पनियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई क्यों नही की गयी।

3. मोबाइल कम्पनियों द्वारा निबंधन शुल्क एवं नवीनीकरण शुल्क का भुगतान नहीं किया गया तो उनके टावर को सील करने की कार्रवाई क्यों नहीं की गयी।

उत्तर में बतलाया गया कि वसूली संबंधित कार्रवाई की जाएगी।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि मोबाईल टावर कम्पनियों से उक्त राशि की वसूली कर निकाय कोष में जमा कराते हुए फलाफल से उप महालेखाकार, (सामाजिक प्रक्षेत्र– 1) सह स्थानीय लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाए।

कंडिका संख्याः– 4 सरकारी जमीन को अतिक्रमणमुक्त नहीं किए जाने से बस पड़ाव का निर्माण नहीं होने के कारण राशि का अवरूद्धिकरण राशि– 1.60 करोड़

नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गए बस पड़ाव से संबंधित संचिका के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि नगर पंचायत साहेबगंज के वार्ड सं0 8 में उपलब्ध सरकारी जमीन पर एक बस स्टैण्ड का निर्माण प्रस्तावित था। उक्त बस स्टैण्ड निर्माण हेतु न0वि0 एवं आ0वि0 पटना का ज्ञापांक 107 दिनांक 28.02.2014 के माध्यम से रू 16000000/– आवंटन प्राप्त हुआ था। संचिका में संलग्न परियोजना निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि0 के पत्रांक BUIDCo-यो0–51/15/SIU-6/147 दिनांक 18.08.2015 एवं ..../212 दिनांक 30.09.2015 के अनुसार उक्त प्रस्तावित स्थल को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया और न ही प्रस्तावित भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया, जिस से योजना स्थल पर योजना कार्य अंकेक्षण अवधि तक प्रारंभ नहीं किया जा सका।

संचिका में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत साहेबगंज द्वारा अंचलाधिकारी साहेबगंज को लिखा गया पत्र संलग्नं पाया गया, जिस में उक्त सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने हेतु अनुरोध किया गया था। किन्तु अंचलाधिकारी द्वारा क्या कार्यवाई की गई इस संबंध में संचिका में कोई उल्लेख नहीं पाया गया।

स्पष्ट है कि प्रस्तावित बस पड़ाव से संबंधित सरकारी जमीन का अतिक्रमण मुक्त नहीं किए जाने एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण बस पड़ाव निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया, जिस से उक्त प्राप्त आवंटन की राशि पिछले 2 वर्षों से अवरूद्ध /अनुपयुक्त पड़ी थी।

बस पड़ाव निर्माण हेतु उक्त सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने हेतु उच्च पदाधिकारी को भी अवगत नहीं कराया गया।

आपत्ति के जवाब में बतलाया गया कि इस संबंध में उच्च पदाधिकारी से पत्राचार किया जाएगा।

उत्तर संतोषजनक नहीं है सरकारी अनुदान की राशि का अबरोधन बिहार वित्तीय नियामावली का उल्लंघन है। अतः प्रस्तावित स्थल पर बस पड़ाव का निर्माण कराये जाने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जाये या राशि सरकार को वापस की जाये।

कंडिका संख्याः– 5 सैरातों का हस्तान्तरण नहीं होने से राजस्व हानि

बिहार नगरपालिका विधेयक, 2007 के कंडिका 100 के अनुसार, किसी अन्य कानून में तत्समय लागू बातों के रहते हुए भी निम्नांकित श्रेणियों की चल–अचल सम्पत्तियाँ, जो किसी सरकारी विभाग या कानूनी निकाय (जिला परिषद या निगम को छोड़कर) के नहीं हैं, नगरपालिका में निहित होंगी, यदि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा कोई अन्य निदेश निगर्त नहीं करती है, यथा–

(क) सभी निहित सार्वजनिक भूमि, जो किसी सरकारी विभाग अथवा सांविधिक निकाय अथवा निगम की नहीं हो –

(ख) समस्त सार्वजनिक जलाशयों, सरिताओं, जलागारों एवं कूपें,

(ग) समस्त सार्वजनिक बाजार तथा वधशालाऐं –

(घ) समस्त सार्वजनिक नाली तथा मोरी, नहर माध्यमों, सुरंगों, पुलियाओं तथा नहरों, जो किसी भी गली के पार्श्व में या अधीन स्थित हो,

(ङ) समस्त सरकारी मार्ग तथा सड़कों तथा उस पर पत्थर तथा अन्य सामग्रियों तथा उन मार्ग और सड़कों पर अवस्थित वृक्षों को भी, जो किसी निजी व्यक्ति की सम्पदा नहीं है,

(च) समस्त सार्वजनिक मैदानों तथा उद्यानों जिनमें चौकोर टुकड़ों तथा सार्वजनिक खुली जगहें सम्मिलित है;

(छ) समस्त सार्वजनिक नदी–धारायें अथवा सरिताओं अथवा जलाशयों,

(ज) समस्त सार्वजनिक दीपों, दीप–स्तम्भों और उनसे संबंधित सभी उपकरणों,

(झ) समस्त सार्वजनिक स्थलों जहाँ मृतकों की अन्तिम क्रिया की जाती है उनके अतिरिक्त जो इस संबंध में किसी विशेष नियम द्वारा शासित है,

(ञ) सभी ठोस कचरे, जिनमें मृत पशु–पक्षियॉ शामिल हैं, जो किसी सार्वजनिक गली या स्थान में एकत्र किये गये हैं,

(ट) समस्त लावारिश जानवर, जो किसी निजी व्यक्ति के नहीं हैं।

पुनः बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 561(9)श0 दिनांक 07.12.10 के द्वारा अनुरोध किया गया कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 100 के आलोक में आवश्यक कार्रवाई नगर पालिका स्तर से की जाय।

उक्त अधिनियम के धारा 100 के आलोक में कार्यालय नगरपंचायत, साहेबगंज द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिम मुजफ्फरपुर को पत्रांक 27 दिनांक 26.07.2009 को एक पत्र लिखा गया; जिस में यह उल्लेख किया गया कि साहेबगंज अंचल अंतर्गत पूर्व पंचायत प्रतापपट्टी एवं नवानगर निजामत जो विघटित हो कर नगर पंचायत, साहेबगंज हो गया था और कार्यरत था जिसके क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले सैरात यथा नावानगर बाजार, कोठा बाजार एवं नावानगर बैद्यनाथपुर वाया नदी जलकर को नगर पंचायत साहेबगंज को हस्तान्तरित किया जाय। संचिका में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दिया गया जवाब का प्रति संलग्न नहीं पाया गया। उक्त विषय पर क्या निर्णय लिया गया यह भी संचिका में स्पष्ट नहीं पाया गया। उक्त सैरातों को नगर पंचायत में हस्तान्तरित नहीं किए जाने से नगर पंचायत, साहेबगंज को पिछले 7 से 8 वर्षों से राजस्व हानि उठानी पर रही थी। उक्त सैरात नगर पंचायत को हस्तान्तरित नहीं होने के कारण इस का सुरक्षित जमा राशि का भी पता नहीं चल पाया।

अंकेक्षण आपत्ति के जवाब में बतलाया गया कि इस संबंध में उच्च स्तरीय पदाधिकारी से पत्राचार किया जाएगा।

उपर वर्णित प्रावधान के तहत उक्त सैरातों को नगरपालिका में निहित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय एवं फलाफल से कार्यालय महालेखाकार, बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

कंडिका संख्याः– 6 विज्ञापन शुल्क से संबंधित अभिलेख संधारित नहीं किया जाना.

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 145 से 147 तक नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत समाचार पत्रों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु नगर निगम से अनुज्ञप्ति लेने का प्रावधान है एवं नगर निगम अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु उस दर से उस पर शुल्क वसूल करेगा जो निगम द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। इसी अधिनियम की धारा 146(6) के अनुसार मुख्य नगरपालिका

पदाधिकारी एक रजिस्टर का संधारण कराएगा जिसमें इस धारा के अधीन निर्गत की गयी अनुज्ञप्तियॉ विज्ञापन स्थल के बारे में अलग अलग अभिलिखित रहेगा।

निम्नलिखित तथ्यों से लेखापरीक्षा को अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया :–

1. क्या नगर पंचायत द्वारा अपने क्षेत्र अंतर्गत सभी विज्ञापन स्थलों का सर्वे कराया गया था। यदि हॉ तो उससे संबंधित दस्तावेज लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया जाए और यदि नहीं तो उसके कारण से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय। कार्यालय द्वारा इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया।

2. अधिनियम के धारा 146(6) के अनुसार नगर निकाय द्वारा विज्ञापन अनुज्ञप्ति हेतु रजिस्टर का संधारण किया गया या नही ? यदि हॉ तो रजिस्टर लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराया जाय। कार्यालय द्वारा रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया।

3. जिन विज्ञापन दाताओं पर पूर्व का अनुज्ञप्ति शुल्क बकाया था उनके अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण किया गया या नहीं ? यदि हॉ तो आधार स्पष्ट किया जाय। यदि नही तो कारण स्पष्ट किया जाय। इस संबंध में लेखापरीक्षा को कोई जवाब नहीं दिया गया।

जवाब में बतलाया गया कि विज्ञापन शुल्क की वसूली नहीं की जा रही है।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 145 से 147 तक के अनुपालन करते हुए विज्ञापन स्थलों का सर्वे कराया जाय एवं विज्ञापन शुल्क की वसूली की जाय एवं फलाफल से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत करायी जाय।

कंडिका संख्याः– 7 कम जमा/नहीं जमा, रू 0.06 लाख

विविध रोकड़ बही, दैनिक वसूली पंजी एवं रोकड़ बही बैंक पासबुक के जॉच में पाया गया कि श्री सुनील कुमार, कर दरोगा द्वारा सेक्शन मशीन एवं पानी टंकी हेतु राशि वसूल की गई थी। जांच में पाया गया कि वसूली गई राशि में से कम राशि निकाय कोष में जमा की गई। विवरण निम्न है –

कम सं0	रसीद सं0	दिनांक	मद	वसूली गई राशि	जमा की गई राशि	कम जमा/नहीं जमा की राशि	संग्रहकर्ता का नाम
1	1–70	24.12.14 से 04.04.16	सेक्शन मशीन एवं पानी टंकी	123400	117211	6189	श्री सुनील कुमार, कर अरोगा

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि राशि संबंधित व्यक्ति से वसूल कर पंचायत कोष में जमा कर दिया जाएगा ।

अतः उक्त कम जमा की राशि रू 6189/– जिम्मेवार व्यक्ति से वसूल कर संबंधित कोष में जमा कर फलाफल से कार्यालय को अवगत कराया जाय ।

कंडिका संख्याः— 8 लेखापाल रोकड़ बही का अद्यतन संधारण नहीं ₹ 2.40 लाख

1. रोकड़पाल रोकड़ बही एवं लेखापाल रोकड़ बही के मिलान के क्रम में पाया गया कि कुछ राशि का रोकड़पाल रोकड़ बही से लेखापाल रोकड़ बही में हस्तान्तरण नहीं किया गया। विवरण निम्न है —

क्रम सं0	राशि	दिनांक	मद	बैंक में जमा
1	2393	17.11.14	शौचालय से प्राप्त राशि	15.11.14
2	8320	16.12.14	सेक्शन मशीन से प्राप्त राशि	17.11.14
3	229704	29.04.15	बन्दोबस्ती की राशि	29.04.15

आपत्ति के जवाब में बतलाया गया कि आपत्ति में दर्शायी गयी राशि की यथाशीघ्र रोकड़ बही में स्थानान्तरण कर लिया जाएगा।

अतः उक्त त्रुटि को दूर किया जाय एवं फलाफल से लेखा परीक्षा कार्यालय को अंवगत करयी जाय।

कंडिका संख्याः— 9 दैनिक मज़दूरी पर अप्राधिकृत व्यय, रू 5.76 लाख

बिहार सरकार के पत्र सं0 04 न0स0 1—103/87—1231/नगर विकास विभाग, दिनांक 06.05.1992 एवं अन्य विभिन्न पत्रों द्वारा शहरी निकायों में दैनिक मजदूरी पर रोक लगाई गई है।

नगर पंचायत, साहेबगंज द्वारा लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराए गए रोकड़ बही एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से पता चला कि नगर पंचायत में निम्न व्यक्ति दैनिक मजदूर के रूप में कार्य कर रहे थे —

1. श्री अशोक कुमार राम
2. श्री भोला राउत
3. श्री शैलेन्द्र मल्लीक
4. श्री प्रकाश राम
5. श्री शम्भु राउत
6. श्री मंगला राम
7. श्री किशोरी राउत

उक्त व्यक्तियों के मजदूरी पर रू 576824/— व्यय किया गया था। व्यय की विवरणी निम्न है —

क्रम सं	राशि	मह	भुगतान तिथि	अभ्युक्ति
1	117360	अंकित नहीं	23.07.14	
2	11808	अंकित नहीं	28.10.14	
3	140256	अंकित नहीं	23.02.15	
4	82080	अंकित नहीं	28.05.15	
5	108144	मई 15 से अगस्त 15	02.11.15	
6	117176	सितम्बर 15 से दिसम्बार 15	29.01.16	
कुल	576824			

कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि कार्यलय कार्य हेतु कर्मचारी को रखा गया एवं राशि का भुगतान किया गया। दिया गया जवाब मान्य नहीं है क्योंकि सरकार ने पहले ही विभिन्न आदेशों के माध्यम से दैनिक मजदूरी पर रोक लगा रखी हैं।

अतः दैनिक मजदूरी पर व्यय की गयी राशि 576824/— अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

(9)

कंडिका संख्याः– 10 अप्रस्तुत भंडार पंजी (विविध रसीद)

नगर पंचायत साहेबगंज द्वारा अंकेक्षण में कुल 4 बुक विविध रसीद उपलब्ध कराया गया, जिसका आवश्यक जॉच की गई, परन्तु इस से संबंधित भंडार पंजी लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस से यह ज्ञात नहीं हो सका कि कुल कितना रसीद आगत किया गया, तथा कितना रसीद निर्गत किया गया। आपत्ति के आलोक में बतलाया गया कि भंडार पंजी का संधारण कर लिया जाएगा।

अतः भंडार पंजी का संधारण कर फलाफल से अंकेक्षण कार्यलय को अवगत करायी जाय।

कंडिका संख्याः– 11 राशि का विचलन, रू 49000

नगर पंचायत साहेबगंज के वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2015–16 तक के लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान रोकड़ बही के जॉच में पाया गया कि 13वीं वित्त आयोग की राशि से दिनांक 28.05.15 को चेक सं0 820536 के द्वारा रू 49000/– आन्तरिक स्त्रोत मद में हस्तान्तरित किया गया था। उक्त राशि पुनः 13वीं वित्त से संबंधित रोकड़ बही में नहीं लाया गया। स्पष्ट है कि राशि का विचलन कर व्यय कर ली गई, जो बिहार वित्तीय नियामावली के विरूद्ध था।

आपत्ति के जवाब में बतलाया गया कि 13वीं वित्त से राशि व्यय किया गया है।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि विचलन की गयी राशि की प्रतिपूर्ति की जाय एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत करायी जाय, तब तक व्यय की गयी राशि 49000/– अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका संख्याः– 12 विलोपित

कंडिका संख्याः– 13 अभिलेखों का अप्रस्तुतीकरण

कार्यालय नगर पंचायत, साहेबगंज के लेखा–परीक्षा के दौरान बार– बार लिखित एवं मौखिक रूप से मॉग किए जाने के बावजूद भी निम्न अभिलेखों/ पंजियों एवं सूचना लेखा–परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके कारण लेखा–परीक्षा में जॉच नहीं की जा सकी ।

1. मॉग एवं वसूली पंजी (सम्पत्ति कर)
2. मॉग एवं वसूली पंजी (दुकान किराया)
3. सेवा पुस्त
4. भविष्य निधि पासबुक
5. वाद पंजी
6. सम्पत्ति पंजी
7. गाड़ी का लॉगबुक
8. जनरेटर का लॉगबुक
9. वेतन पंजी
10. अनुदान पंजी
11. चेक निर्गत पंजी
12. वार्षिक लेखा
13. दैनिक मजदुरों के भुगतान से संबंधित संचिका
14. उपयोगिता प्रमाण पत्र

15. सैरातों से संबंधित पंजी
16. एस. जी. एस. आर. वाई से संबंधित संचिका
17. ट्रेड लाइसेंस से संबंधित संचिका पंजी
18. स्वार मोबाइल टावरों से संबंधित संचिका पंजी

आपत्ति के आलोक में बतलाया गया कि अगले लेखापरीक्षा में दिखला दिया जाएगा।

उक्त सभी दस्तावेजों को अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाये।

TAN

टिप्पणी :–1 सरकारी अनुदान

सरकार अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाले अनुदानों का संधारण अनुदान पंजी में किया जाना है तथा इसमें अनुदानवार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ का पूर्व शेष, वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाला अनुदान, वर्ष के दौरान किये गये व्यय तथा वर्ष के अन्तशेष को दर्ज किया जाना है। इसको बिहार नगरपालिका नियमावली, 1928 के नियम–141 के प्रारूप में संधारित करना है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत साहेबगंज में अनुदान पंजी संधारित नहीं था। इसके अभाव में ज्ञात नहीं हो सका कि वित्तीय वर्ष 2013–14 के प्रारंभ में किस अनुदान का पूर्व शेष क्या था तथा कौन से अनुदान कितने वर्षों से अनुपयोगी पड़े हुये थे।

हालाकि प्रस्तुत विभिन्न रोकड़ बहीयों के अवलोकन से यह पता चला कि नगर पंचायत साहेबगंज को वर्ष 2013–14 से 2015–16 की अवधि में राशि 83105540/–प्राप्त हुई। (विवरणी परिशिष्ट– VI पर संलग्न) अनुदान पंजी के अभाव में यह ज्ञात नहीं किया जा सका कि इन अनुदानों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया गया अथवा नहीं जिन प्रयोजनों के लिए ये अनुदान सरकार से प्राप्त हुए थे, साथ ही, यह भी नहीं ज्ञात किया जा सका कि प्राप्त अनुदानों के विरूद्ध कितने राशि का उपयोग किया गया तथा वर्ष के अंत में कितनी राशि अनुपयोगी पड़ी रही।

कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि अंकेक्षण के सुझाव को देखते हुए भविष्य में अनुदान पंजी का संधारण किया जायगा।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी अनुदान पंजी का संधारण उपर्युक्त नियमानुसार कर अगले अंकेक्षण के समक्ष आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

टिप्पणी :–2 परिसम्पत्ति पंजी का संधारण नहीं

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 105 में यह प्रावधान किया गया है कि–

(1) सशक्त स्थायी समिति, नगरपालिका की समस्त अचल सम्पत्तियों जिसका नगरपालिका स्वामी है या वह उसमें निहित है अथवा जो उसे सरकार के न्यास के रूप में प्राप्त है के विवरणों की एक पंजी तथा एक मानचित्र रखेगी तथा नगरपालिका की समस्त चल सम्पत्तियों की पंजी भी समिति के अधीन रहेगी।

(2) किसी अचल सम्पत्ति की तालिका के मामले में सशक्त स्थायी समिति एक वार्षिक विवरण तैयार करेगी जिसमें कथित तालिका में यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे चिन्हित करेगी तथा उसे बजट–प्राक्कलन के साथ नगरपालिका के समक्ष प्रस्तुत करेगी।"

नगर पंचायत साहेबगंज द्वारा परिसम्पत्ति पंजी को अंकेक्षण के समक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस कारण यह पता नहीं चल सका कि नगर पंचायत साहेबगंज द्वारा परिसम्पति पंजी का संधारण किया जा रहा था या नहीं साथ ही साथ यह भी पता नहीं चल सका कि परिसम्पत्तियॉ से कार्यालय को कितनी आय प्राप्त हो रही थी।

कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि परिसम्पति पंजी का संधारण कर लिया जाएगा। कार्यपालक पदाधिकारी अंकेक्षण के सुझावों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में परिसम्पत्ति पंजी का संधारण करें एवं अगले लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करें।

टिप्पणी :–3 वार्षिक लेखा का संधारण नहीं

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 86 तथा 88 में क्रमशः लेखा संधारण तथा वित्तीय विवरण तैयार करने का प्रावधान किया गया है। धारा 88 के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के चार माह के भीतर एक वित्तीय विवरण तैयार करना है जिसमें नगरपालिका लेखा के मद्दे पूर्ववर्ती वर्ष का आय– व्यय लेखा तथा प्राप्तियों एवं अदायगियों को अंतर्विष्ट करना है। इसके अतिरिक्त बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 1928 के नियम–82 तथा 83 में प्रावधान किया गया है कि नगरपालिका के आय तथा व्यय का विवरण फार्म XVII तथा XVIII में दर्ज किया जाएगा तथा लेखापाल द्वारा फार्म XIX में वार्षिक लेखा संधारित किया जाएगा।

परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक वार्षिक लेखा अंकेक्षण दल के समक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया।

कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि अंकेक्षण के सुझाव को देखते हुए भविष्य में वार्षिक लेखा तैयार कर प्रस्तुत किया जायगा।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा वार्षिक लेखा तैयार कर अगले अंकेक्षण दल के समक्ष आवश्यक जांच हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

टिप्पणी :– 4 वित्तीय विवरण एवं तुलन पत्र का प्रस्तुतीकरण

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 90 के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक को कार्यालय, आय एवं व्यय का वित्तीय विवरण एवं तुलन पत्र उपलब्ध करवाएगा, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक वित्तिय विवरण एवं तुलन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गए आपत्ति का भी कोई जवाब नहीं दिया गया।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरण एवं तुलनपत्र तैयार कर अगले अंकेक्षण दल के समक्ष उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

टिप्पणी :– 5 पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन प्रतिवेदन

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के धारा 93 में यह प्रावधान किया गया है कि नगरपालिका पदाधिकारी सशक्त स्थायी समिति के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को उन पर अपनी टिप्पणी के साथ पेश करेंगे, जो जांचोपरांत उन्हें अपनी टिप्पणी के, यदि कोई हो, नगरपालिका के समक्ष प्रस्तुत करेगी। साथ ही, नगरपालिका पदाधिकारी अपने प्रतिवेदन में लेखा परीक्षक द्वारा बतलायी गयी त्रुटियों को दूर करेंगे। इसके अतिरिक्त धारा 94 में यह प्रावधान किया गया है कि नगरपालिका पदाधिकारी नगरपालिका द्वारा लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन अंगीकार किए जाने के पश्चात उस पर नगरपालिका द्वारा की गयी कार्रवाई प्रतिवेदन के साथ उन्हें राज्य सरकार को अग्रसारित करेंगे और इसकी प्रति स्थानीय लेखापरीक्षक को भेजेंगे।

अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अंकेक्षण का उद्येश्य पूरा नहीं हो पाता है।

परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत पूर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन तैयार कर अंकेक्षण के समक्ष आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जिससे लेखा परीक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका।

कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि पुर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन तैयार कर महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया जायगा।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत पुर्ववर्त्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर लेखा परीक्षा कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

टिप्पणी :– 6 नगरपालिका लेखा समिति द्वारा कियान्वित कार्य

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 98 में नगरपालिका लेखा समिति का गठन करने का प्रावधान किया गया है।

इसके संबंध में अंकेक्षण दल को निम्नलिखित सूचनायें उपलब्ध नहीं करायी गई।

1. इस समिति का गठन कब किया गया? समिति के सदस्यों की सूची अंकेक्षण को उपलब्ध करायी जाए।
2. इस समिति की कब– कब बैठक हुयी ? स्पष्ट नहीं किया गया।
3. इस समिति द्वारा कौन– कौन से कार्यों का निष्पादन किया गया, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया।

अंकेक्षण की समाप्ति तक अंकेक्षण दल को मांगी गयी उपर्युक्त सुचना से अवगत नहीं कराया गया एवं कार्यालय द्वारा इस संबध में कोई जवाब नहीं दिया गया।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी नगरपालिका लेखा समिति का गठन की दिशा में सकारात्मक प्रयास करें एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को सुचित करें।

टिप्पणी :– 7 होल्डिंग कर की वसूली नहीं

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 127 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक शहरी निकाय को नगरपालिका क्षेत्र में अवस्थित मकानों पर कर (होल्डिंग कर) आरोपित करेन की शक्ति प्रदान की गयी

(87

है, परन्तु नगर पंचायत, साहेबगंज के द्वारा वर्ष 2015–16 की समाप्ति तक भी होल्डिंग कर का करारोपण नहीं किया गया था।

नगर पंचायत द्वारा कर निर्धारण कर करारोपण नहीं किए जाने के कारण पूछे जाने पर बतलाया गया कि वर्ष 2016–17 से सम्पत्ति कर की वसूली प्रारंभ की गई है। अतः अग्रेत्तर कार्यवाही से महालेखाकार कार्यालय को अवगत करावें।

टिप्पणीः– 8 रोकड़ बही में त्रुटि/कम दर्ज राशि रू 2503/–

नगर पंचायत साहेबगंज के वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2015–16 तक के लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान रोकड़ बही के जॉच में पाया गया कि जणगणना के रोकड़ बही में पृष्ठ सं0 7 दिनांक 04.01.2014 को रू 138898/– अन्तशेष के बदले रू 138895/– लिखा गया जो कि वास्तविक राशि 3/– रू कम था। उसी प्रकार पृष्ठ सं0 12 दिनांक 31.03.16 को आय पक्ष में रू 2500/– लिया गया परन्तु दैनिक योग में नहीं जोड़ा गया। इस प्रकार अंत शेष रू 2500/– कम लिखा गया।

आपत्ति के जवाब में बतलाया गया कि रोकड़ बही में सुधार कर दिया जाएगा ।

उक्त त्रुटि को सुधार कर फलाफल से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत करायी जाय।

–हस्ता0–
सालकीन अहमद
(स0ले0प0अ0)
–अनुमोदित–
उप महालेखाकार (एस0 एस0 1)
–सह–
स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार

परिशिष्ट–1

साहेबगंज नगर पंचायत

लेखा परीक्षा के दौरान जांच किये गये अभिलेखो / पंजियों की सुचि

; प्रतिवेदन की कंड़िका .....से संदर्भितद्ध

1. लेखापाल रोकड़बही एवं टेजरी पासबुक
2. रोकड़पाल रोकड़बही एवं संबधित बैक पासबुक
3. होल्ड़िग रसीद
4. मनी रसीद
5. सहायक रोकड़बही
6. स्टोक रजिस्टर– एच,एम एवं स्थायी सामग्री
7. योजना पंजी
8. योजना संचिका– [आंषिक] आंशिक
9. सामानों के क्रय से संबधित संचिका
10. अभिश्रव– आंषिक
11. अनुदान पत्रो की संचिका

परिशिष्ट– 2
अभिलेखों का अप्रस्तुतीकरण

1. मॉग एवं वसूली पंजी (सम्पत्ति कर)
2. मॉग एवं वसूली पंजी (दुकान किराया)
3. सेवा पुस्त
4. भविष निधि पासबुक
5. वाद पंजी
6. सम्पत्ति पंजी
7. गाड़ी का लॉग बुक
8. जनरेटर का लॉग बुक
9. वेतन पंजी
10. अनुदान पंजी
11. चेक निर्गत पंजी
12. वार्षिक लेखा
13. दैनिक मजदुरों के भुगतान से संबंधित संचिका
14. उपयोगिता प्रमाण पत्र
15. सैरातों से संबंधित पंजी
16. एस. जी. एस. आर. वाई से संबंधित संचिका

APPENDIX---III

RESULT OF AUDIT

Sl. No	Part	Para No.	Recovery at the instance of Audit	Amount Held under objection	Amount Suggested for Recovery
1	भाग–2 –ख	1		60957.00	00
2		2		194350.00	00
3		7		6189.00	
4		9		00	576824.00
5		10		00	49000.00
Total				261496.00	625824.00

IV

B.R.G.P.

	2013–14	2014–15	2015–16
1 प्रारम्भिक शेष	7694408	1475020	398074
2 (i) अनुदान	1374434	219444	219444
(ii) ब्याज	—	—	147416
(iii) अन्य	—	—	—
जोड़ वर्ष की प्राप्ति (i+ii+iii)	2143842	1694464	764934
3 कुल प्राप्तियाँ (1+2)	2143842	1694464	764934
4. व्यय (i) योजना मद	668822	1296390	66746
(ii) अन्य व्यय	—	—	
5. कुल व्यय (i+ii)	668822	1296390	66746
6. अन्त शेष (3-5)	1475020	398074	698188

चौदहवीं वित

	2013–14	2014–15	2015–16
1. प्रारम्भिक शेष			2263811
2 (i) अनुदान			—
(ii) ब्याज			—
(iii) अन्य			—
जोड़ वर्ष की प्राप्ति (i+ii+iii)			2263811
3. कुल प्राप्तियाँ (1+2)			2263811
4. व्यय (i) योजना मद			—
(ii) अन्य व्यय			—
5. कुल व्यय (i+ii)			—
6. अन्त शेष (3-5)			2263811

S.J.S.R.Y.

	2013–14	2014–15	2015–16
1. प्रारम्भिक शेष	3089110	2768360	2843375
2 (i) अनुदान	—	—	—
(ii) ब्याज	—	75015	—
(iii) अन्य	—	—	—
जोड वर्ष की प्राप्ति (i+ii+iii)	3089110	2843375	2843375
3. कुल प्राप्तियाँ (1+2)	3089110	2843375	2843375
4. व्यय (i) योजना मद	320750	—	—
(ii) अन्य व्यय	—	—	—
5. कुल व्यय (i+ii)	320750	—	—
6. अन्त शेष (3-5)	2768360	2843375	2843375

कम्प्युटरीकरण

	2013—14	2014—15	2015—16
1. प्रारम्भिक शेष		78979	2106
2. (i) अनुदान		330000	—
(ii) ब्याज		—	—
(iii) अन्य		—	—
जोड़ वर्ष की प्राप्ति (i+ii+iii)		408979	2106
3. कुल प्राप्तियाँ (1+2)		408979	~~2106~~ 2106
4. व्यय (i) योजना मद		406873	~~2106~~
(ii) अन्य व्यय		—	
5. कुल व्यय (i+ii)		406873	~~210~~
6. अन्त शेष (3-5)		2106	2106

शिक्षक मानदेय

	2013–14	2014–15	2015–16
1. प्रारम्भिक शेष	981185	1148	1148
2 (i) अनुदान	—	—	—
(ii) ब्याज	—	—	—
(iii) अन्य	—	—	—
जोड वर्ष की प्राप्ति (i+ii+iii)	981185	1148	1148
3. कुल प्राप्तियाँ (1+2)	981185	1148	1148
4. व्यय (i) योजना मद	980037	—	—
(ii) अन्य व्यय	—	—	—
5. कुल व्यय (i+ii)	980037	—	—
6. अन्त शेष (3-5)	1148	1148	1148